

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : ३१४० / १जी-FP/UK/ROAD/10671/2015 देहरादून: दिनांक: ०६ मई, 2015

सेवा में,

अपर सचिव, वन  
उत्तराखण्ड शासन

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में तोली-मैचून से बरतोली मोटर मार्ग निर्माण -  
1.3925 है। सिविल वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/10671/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में ५ है। से कम तथा प्रति है ५० ५० से कम वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर राज्य सरकार के स्तर से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस.टी.एस.ले प्चा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

संख्या : ३१४० / १जी-FP/UK/ROAD/10671/2015 तददिनांकित

प्रतिलिपि:

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
- मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल
- अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी०एम०जी०एस०वाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा
- प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा
- अधिशासी अभियंता, नि०ख०., लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

(एस.टी.एस.ले प्चा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

## भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा  
भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:

जनपद अल्मोड़ा में तोली (मनियागर) – मैचून से बरतोली मोटर मार्ग  
निर्माण – 1.3925 है० सिविल वन भूमि हस्तांतरण  
(FP/UK/ROAD/10671/2015)

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा में 1.3925 है० सिविल वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण में आरक्षित वन प्रभावित नहीं हो रहा है तथा अन्य वृक्ष आच्छादित भूमि को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त ने भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5 है० से कम तथा प्रति है० 50 वृक्ष से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के मद्देनज़र, जनहित में, उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम:

(एस०टी०एस०लेप्चा भा.व.से)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण एवं

नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

प्राप्त ग्रह के संस्करण एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण भूमि का एवं विशेषज्ञ, उत्तराखण्ड  
दे दून .

सरकारी मोहर:

तिथि : ६/०५/२०१५

स्थान: दे हरादून

भाग-III

तोली (मनीयागर) मैचून से बरतोली मोटर मार्ग निर्माण – 03.00 किमी।

(प्रस्ताव संख्या 10671 / 2015)।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14— स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/ नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	<p>इस कार्यालय के पत्रांक 2427 / 12-1 दिनांक 25.04.2015 से सूचित आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषिता पत्र दिनांक 28.04.2015 के आलोक में सहमत।</p> <p>इस कार्यालय व प्रभागीय वनाधिकारी का उक्त पत्र, मय संलग्नकों के, संलग्न है (संलग्नक— 1 से 6)।</p>
16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 0-10 व 10-20 व्यास श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक:— 28.04.2015

स्थान:— अल्मोड़ा।

  
 (संतोष विजय शर्मा)  
 वन संरक्षक  
 उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

# कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com, (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक — 2427 / 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 25.04.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
सिविल एवं सोयम, अल्मोड़ा।

विषय :— तोली (मनीयागर) मैचुन से बरतोली तक मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव  
(प्रस्ताव संख्या 10671 / 2015)।

संदर्भ :— आपका ऑन-लाइन प्रस्ताव दिनांक 25.04.2015।

महोदय,

संदर्भित मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में आपके स्तर से जो ऑन-लाइन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है उसके हॉड-कॉपी के अवलोकन से निम्न कमियां संज्ञान में आयी हैं—

1. वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत न तो जिलाधिकारी और न ही जिलास्तरीय समिति की बैठक का प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।
2. प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (SIR) संलग्न नहीं है। हार्ड-कापी में SIR का प्रपत्र-7 रिक्त संलग्न किया गया है।

कृपया उक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करें।

संविदाय  
25/04/2015

(संतोष विजय शर्मा)  
वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक २४ / १२० दिनांक, अल्मोड़ा, २०-५- 2015



सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :- तोली (मनीआगर) मैचून से बरतोली तक मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 10671 / 2015)

संदर्भ :- आपका पत्रांक 2427 / 12-1 दिनांक 25-04-2015

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि उक्त विषयक प्रस्ताव में बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः सूचनार्थ महोदय की सेवा में प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग  
अल्मोड़ा

विनु सं ①

### प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून मोटर मार्ग निर्माण ।

### जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित तोली से मैचून मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.215हेटा वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9 / 98-एफ0सी0 दिनांक 05/02/2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा—सड़क, नहर, पारेषण लाइन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से उक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (primitive tribal groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (pre agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
अल्मोड़ा

28.09.14  
जिलाधिकारी,  
जनजाति समुदाय

**FORM-1**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector: Almora**

No.....

Dated.....


**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5<sup>th</sup> feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 7.99 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) **for Construction of Toli Maichun (2.00 km.) Construction Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land)** in Almora district falls within jurisdiction of Maichun Village (s) in Bhanoli tahsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 7.99 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above

  
0809/14  
लिपानिकार्य, Signature  
प्रभाग,

(Full name of the official seal of the District Collector)

**It is further certified that**

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 7.99 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

**Encl: As above**

VVM  
08/09/14  
प्रशासिकार्य, Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

प्रिया बा १२

**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF**  
 (for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from ~~कर्मचारी वनाधिकारी द्वारा~~ for diversion under FCA-1980 of ~~21~~ ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of ~~लोहा की बहुमति गोमाल~~. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated ~~20-4-15~~ 20-4-15 km.

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Others forests measuring ~~21.215~~ ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is bares minimum required for the project.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details thereof  
No.

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

a)  The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b)  It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोट:- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ सर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्थान/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय) ~~वनाधिकारी द्वारा यहाँ की उम्मीद~~

(Signature)

Date:-

Date:- 20-4-2015

Name.

Designation

Office Seal

कार्यालय,

3.  State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

Under letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

### प्रारूप-3

#### भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र

उत्तराखण्ड

(ii) जिला

अल्मोड़ा

(iii) जिला वन प्रभाग

पिक्किं टीप्पन कर भाग अल्मोड़ा

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः

सिलू. 1.3925 हेक्टर

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

विड़ि

(i) वन का प्रकार

इन्सु. जेन्डर

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व

०.५

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणाम

देखा गया

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

किया नहीं

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : १०० मी.

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वा :

किया नहीं

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : ग्रहणशुल्क वन्यजीव

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडार वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) : नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) : नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) : नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसी के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संसारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए संक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) : नहीं

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की चुवित्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :

(i) क्या भाग-१ के पैरा ६ और पैरा ७ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। कुमाऊं बैल वन्यजीव

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठु

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं)
- (ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन, भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही जटिल
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं)

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। कालान् २०७०
- (ii) अवृथिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खस्ता संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। सूची
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में गल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। सूची
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : रु. ६५३५०० =

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हाँ/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाजे वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों को लेकर देखा गया है।

स्थान - अस्सी

तारीख - ८-६-२०१५

इ. भागीय वनाधिकारी  
विविध एवं सोबत वन विभाग,  
गढमोड़ा।

### प्रारूप-3

#### भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र

उत्तराखण्ड

(ii) जिला

अल्मोड़ा

(iii) जिला वन प्रभाग

पिक्किं टीप्पन कर भाग अल्मोड़ा

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः

सिलू. 1.3925 हेक्टर

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

विड़ि

(i) वन का प्रकार

इन्सु फैलीरु

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व

०.५

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणाम

लेखा नहीं

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

कही नहीं

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : १०० मी.

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वा :

कही नहीं

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : ग्राहणशुल्क वन्यजीव

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडार वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) जहा

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) जहा

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) जहा

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसी के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संसारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए संक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) जहा

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की चुवित्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :

(i) क्या भाग-१ के पैरा ६ और पैरा ७ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। जुलूस बनाए वर्ता

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठु

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं)
- (ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन, भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही जटिल
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं)

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। कालान् २०७०
- (ii) अवृथिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खस्ता संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। सूची
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में गल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। सूची
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : रु. ६५३५०० =

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हाँ/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाजे वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों को लेकर देखा गया।

स्थान - अस्सी

तारीख - ८-६-२०१५

इ. भागीय वनाधिकारी  
विविध एवं सोबत वन विभाग,  
गढमोड़ा,

**PART-II**

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0308/2015

**1. Location of the project/Scheme :** Uttarakhand

- (i) State / Union Territory : Uttarakhand
- (ii) District : Almora
- (iii) Forest Division : Civil Soyam,Almora
- (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 1.3925
- (v) Category : Road

**2. Legal status of forest land proposed for diversion :**

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Civil Soyam,Almora	1.3925	Civil Soyam land

Division 1. : Civil Soyam,Almora

**3. District wise area to be diverted in the division :**

S. No.	District	Area(ha.)
1	Almora	1.3925

**4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :**

## (ii) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	1.3925	0.4	Eco 5

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Pinus roxburghii	Chir	0	29	11	04	0

**5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : No Data****6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : erosion of 1.3925 ha. land for public use****7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 0.10****8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :**

- (i). **Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion :** there is no wildlife present in the forest area
- (ii). **Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. :** No
- (iii). **Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ):** No
- (iv). **Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion :** No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : No Data

13. Details of compensatory afforestation scheme :

(ii). Total Financial Outlay for C.A: 643500

(iii). Whether the land identified by User Agency is suitable for CA and from management point of view?: Yes

(iv). Copy of certificate regarding suitability of land identified for CA and from management point of view: [Annexure regarding suitability of land](#)

(v). Copy of detailed CA scheme including species to be planted,implementing agency,time schedule,cost structure etc.: [Annexure CA scheme including species to be planted](#)

Additional information Details :

S. No.	Documents	Remarks
	NIL	

14. District Profile :

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Almora	3689.30	1309.43	135.448	39	203.48996	08/04/2015	0	0

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Civil Soyam,Almora	North Kumaun	DFO	Yes	One	<a href="#">Site Inspection Report</a>	08/04/2015
	North Kumaun	CF	No		No Data	

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason :

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Civil	North	DFO	Recommended	there 03	<a href="#">Recommendation</a>	

Soyam,Almora	Kumaun			village and 136 families and 755 peoples are getting this facilities	<a href="#">letter</a>	
	North Kumaun	CF	Recommended	The Proposal is in Public Interest. As per Proposal 136 families of 3 villages will be benefited, hence recommended.	<a href="#">Recommendation letter</a>	Yes

Print page

## **FORM - A**

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

### **PART - I** (To be filled up by User Agency)

#### **A. General Details**

##### **A- Project Details** 1.

**(i). Proposal No. : FP/UK/ROAD/10671/2015**

**(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Toli(Maniagar)-Maichun till Bartoli**

**(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Construction of motor road from Maichun ?(Maniagar) to Bartoli in Almora of 3.00km length**

**(iv). State : Uttarakhand**

**(v). Category of the Project : Road**

**(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear**

**(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 22.98**

**(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 1.3925**

**(ix). Total Area of Non-Forest Land proposed for diversion(in ha.): 1.3075**

**(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): NIL**

##### **A- Details of User Agency** 2.

**(i). Name : CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA**

**(ii). Address1 : Construction Division PWD Almora**

**(iii). Address2 : NIL**

**(iv). State : Uttarakhand**

(v). District : Almora

(vi). Pin : 263601

(vii). Landmark : NIL

(viii). Email address : eecdalmorapwd@rediffmail.com

(ix). Landline Telephone No. : 230091

(x). Fax No. : 5962

(xi). Mobile No. : 9759892120

(xii). Website (if any) : NIL

(xiii). Details of Proposals seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land submitted by the User Agency in the past :  
No

(xiv). Legal status of User Agency : State Government

A- Details of Person Making Application  
3.

(i). First Name: Suresh

(ii). Middle Name: Chandra

(iii). Last Name: Arya

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Executive Engineer

(vi). Address 1: Construction Division PWD Almora

(vii). Address 2: NIL

(viii). State: Uttarakhand

(ix). District: Almora

(x). Tehsil: Almora

(xi). Pin: 263601

(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: eecdalmorapwd@rediffmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 230091

(xv). Fax No.: 05962230091

(xvi). Mobile No.: 9759892120

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency:

[Annexure U.A Document](#)

## B. Details of land required for the Project

B- Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in  
1. the past

(i). Whether any proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land required for the project has been submitted in the past?. : No

B- Details of forest land proposed to be diverted  
2.

### B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Civil Soyam,Almora	1.3925	1.3075

### B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Almora	1.3925	1.3075

### B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	maichun	0.9575	0.8075
2	toli	0.3275	0.5
3	bartoli	0.1075	0

### B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	maichun	0.9575	0.8075
2	toli	0.3275	0.5
3	bartoli	0.1075	0

### C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Civil Soyam,Almora		
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 1.3925		
(ii). : Linear		
(b). No. of Segments : One		
Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments
1.	1.3925	<a href="#">Annexure Segment1</a>
(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: <a href="#">Annexure Survey of India Toposheet</a>		
(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: <a href="#">Annexure scanned copy of the Geo-referenced map</a>		

### D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land : [Annexure Justification](#)

(ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes

(a). Copy of map indicating location of alternative examined: [Annexure alternative examined](#)

### E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment ?: No

### F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

## G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

## H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

## I. Status of Wildlile Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

## J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i).Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

## K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

(a). Copy of documentary evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted: [Annexure Documentary Evidence](#)

## L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Yes

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ?: No

(iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 1

(iv). No. of patches: One

District 1. : Almora
(a). Village: Kalnu
(b). Area(in ha.): 2.785
(c). Copy of KML file of the patch: <a href="#">Annexure Patch</a>

(d). Khasra details: 19/226

(e). Present owner: Others

(f). Copy of ownership proof: [Annexure Copy of Ownership proof](#)

(g). Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency: [Annexure Mou/Agreement/Letter of intent executed/issued](#)

(h). Copy of non encumbrance certificate for the forest land:  
[Annexure non encumberence certificate](#)

(v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS or Total Station: [Annexure GPS or Total Station](#)

(vi). Copy of Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: [Annexure Survey of India Toposheet](#)

### Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1	<a href="#">Additional Info.</a>	2.1
2	<a href="#">Additional Info.</a>	2.2
3	<a href="#">Additional Info.</a>	2.3
4	<a href="#">Additional Info.</a>	2.4
5	<a href="#">Additional Info.</a>	2.5
6	<a href="#">Additional Info.</a>	2.6
7	<a href="#">Additional Info.</a>	2.7
8	<a href="#">Additional Info.</a>	2.8
9	<a href="#">Additional Info.</a>	2.11
10	<a href="#">Additional Info.</a>	2.13
11	<a href="#">Additional Info.</a>	2.15
12	<a href="#">Additional Info.</a>	2.16
13	<a href="#">Additional Info.</a>	2.17
14	<a href="#">Additional Info.</a>	2.18
15	<a href="#">Additional Info.</a>	2.19
16	<a href="#">Additional Info.</a>	2.20
17	<a href="#">Additional Info.</a>	2.21
18	<a href="#">Additional Info.</a>	2.22
19	<a href="#">Additional Info.</a>	2.23
20	<a href="#">Additional Info.</a>	2.24
21	<a href="#">Additional Info.</a>	2.25

22	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.26
23	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.27
24	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.28
25	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.29
26	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.30
27	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.31
28	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.32
29	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.33
30	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.34
31	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.36
32	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.37
33	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.35
34	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.38
35	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.39
36	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.39
37	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.40
38	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	2.41
39	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	CHECKLIST
40	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	CA scheme for ten years (2.9)
41	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	Land for CA certificate(2.10)
42	<a href="#"><u>Additional Info.</u></a>	Road side gap filling scheme(2.12)

[Print page](#)